

राजनीति मे नैतिकता का प्रभाव

वर्ष 2014 भारतीय राजनीति में दो उत्कर्षों के लिए याद किया जायेगा—

(1) स्वतंत्रता के तत्काल बाद राजनीति में नैतिकता के पतन की हुई शुरुवात का 2014 के पूर्वाध में चरमोत्कर्ष।

(2) 2014 के उत्तराध में नैतिकता के उत्थान की सम्भावना का प्रारंभ।

पिछले वर्ष अनेक राजनेताओं ने नैतिक पतन के कीर्तिमान स्थापित किये। चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हार जाने के कारण सरकारी बंगला छोड़ने का आदेश हुआ। नैतिकता के आधार पर उन्हें बिना नोटिश मिले ही बंगला छोड़ देना चाहिए था। किन्तु अजीत सिंह ने तो ऐसा कीर्तिमान बनाया कि पुलिस द्वारा सामान बाहर फेंक देने के बाद भी उन्होंने मकान का मोहर नहीं छोड़ा। वे इतना नीचे उत्तर गये कि उन्होंने मकान पर फिर से कब्जा करने के लिए अपने पिता चरण सिंह के नाम का उपयोग किया। विदित हो कि चरण सिंह किसान होते हुये भी एक इमानदार राजनेता स्थापित रहे तथा प्रधानमंत्री भी बने। दुख होता है कि उन्हीं चरण सिंह का बेटा एक मकान पर कब्जा करने के लिए अपने इमानदार पिता के नाम का उपयोग करे। हद तो तब हो गई जब अजीत सिंह ने फिर से मकान पर कब्जा करने के लिए आन्दोलन छेड़ दिया और जंतर मंतर पर कुछ समर्थकों को इकट्ठा कर दिया। सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया और चरण के नाम पर मकान के दुरुपयोग के समक्ष झुकने से इन्कार कर दिया। सम्पूर्ण देश में अजीत सिंह के इस प्रयत्न की भरपूर आलोचना हुई। किन्तु कुछ राजनेता फिर भी उनके पक्ष में खड़े होने में सफल हो गये। अजीत सिंह ने आज तक नैतिकता के तराजू पर अपने इस कार्य को तौलने का प्रयास नहीं किया।

2014 में ही हरियाणा के चुनाव आये। हरियाणा के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बाद दस वर्षों के लिए जेल में चले गये। जेल में रहते हुए ही उन्होंने बीमारी के इलाज के नाम पर पैरोल माँगा और ठीक चुनाव के समय बाहर आने में सफल हो गये। विदित हो कि श्री चौटाला हरियाणा के उस सम्मानित देवीलाल के पुत्र हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद मिलने के बाद भी इन्कार कर दिया था। ओमप्रकाश चौटाला ने सारी शालीनता छोड़ते हुए खुला चुनाव प्रचार शुरू कर दिया और तब तक चुनाव प्रचार में लगे रहे जब तक न्यायालय ने हस्तक्षेप करके उन्हे जेल जाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। ओमप्रकाश चौटाला ने कभी जेल जाने के कारणों की समीक्षा नहीं की, कभी पश्चाताप नहीं किया, कभी शर्मिदा नहीं हुए, बल्कि अब भी सीना तानकर राजनीति का व्यवसाय करने में लगे हुए है।

यदि हम तमिलनाडु का उदाहरण देखें तो वहाँ की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी एक कीर्तिमान ही बनाया। जयललिता को आय से अधिक सम्पत्ति मामलों में न्यायालय से सजा हुई और वे जेल पहुँचा दी गई। आरोप सिद्ध होने के बाद भी उन्होंने शर्मिदा होने की कोई पहल नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने यहाँ तक तिकड़म की, कि वे जेल से ही मुख्यमंत्री का काम चलाती रहे। विदित हो कि जयललिता पुर्व मुख्यमंत्री, एम जी रामचन्द्रन को निकट की मित्र रही है। आश्चर्य तो तब हुआ जब जयललिता ने राजनैतिक दबाव बनाने के लिए तमिलनाडु में हड़ताल कराने का सहारा लिया। यह हड़ताल चरम पर पहुँची जब इनके कई सर्वथकों ने आत्महत्या करने तक की कोशिश की। जयललिता ने भी कभी नैतिकता का मानदंड नहीं अपनाया।

इसके पुर्व भी हम ऐसे ही भ्रष्टाचार का नाटक बिहार में देख चुके हैं। बिहार में लालूप्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो जयप्रकाश नारायण के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। इन्हें भी जेल से सरकार चलाने का अच्छा अनुभव प्राप्त है। इन्होंने जेल जाते समय अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर स्वयं सारा संचालन करते रहे। 2014 के वर्ष में उन्हें भी जब दण्ड सुनाया गया तो लालू जी ने मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव डालकर कानून में फेर बदल कराने की भरपूर कोशिश की। यदि एकाएक राहुल गांधी की आत्मा न जगी होती तो लालू प्रसाद की सजा भी निष्प्रभावी हो सकती थी। इस तरह राजनीति में नैतिकता का पतन लगातार होता गया और ऐसे पतन के चरमोत्कर्ष में न जाति का भेद रहा न स्त्री पुरुष का और न ही किसी क्षेत्रीयता का और न ही राजनैतिक भेद भाव का।

स्वतंत्रता के बाद लगातार राजनीति में नैतिकता का पतन होता गया। प्रारंभ में जवाहर लाल नेहरू ने राजनीति में दस पॉच प्रतिशत अनैतिकता की शुरुवात की तो 2014 आते आते अजीत सिंह, लालू प्रसाद, ओम प्रकाश चौटाला, जयललिता सरीखे लोगों ने राजनीति में अनैतिकता का ग्राफ कहाँ तक पहुँचा दिया यह बताना कठिन है। हर वर्ष ऐसा लगता था जैसे उस वर्ष राजनीति का सम्पूर्ण पतन हो गया हो किन्तु अगले वर्ष पतन की सीमायें टुट्टी थीं और नयी सीमायें बन जाया करती थीं। मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में राजनीति में नैतिकता को बचाने का भरपूर प्रयास किया किन्तु वे खड़ाउ प्रधानमंत्री होने के कारण अपनी नैतिकता अपने पास तक सीमित रखने के लिए मजबूर हो गये। ऐसे ही समय में दो हजार चौदह के उत्तराध में नरेन्द्र मोदी का उदय हुआ। चुनावों के पूर्व ऐसा नहीं लगता था कि पतन के पाताल तक गई हुयी राजनीति पर जल्दी कोई विराम लग पायेगा किन्तु छः महिने के कार्यकाल में ही यह स्पष्ट दिखने लगा कि यदि दृढ़ निश्चय हो और परिस्थितियों भी अनुकूल हो तो पतन की पराकाष्ठा को बदला जा सकता है। नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आते ही हवा में कुछ ऐसी गर्माहट दिखने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के ढके चुके पदलोलुप, धनलोलुप, राजनेता भी इमानदार बनने तथा रहने के लिए मजबूर हो गये। यद्यपि नरेन्द्र मोदी ने विकास का नारा दिया था किन्तु चरित्र पतन के मामले में भी उनकी भावभंगिमा ने कमाल का परिवर्तन किया। भ्रष्टाचार करने वाले राजनेता छुपछुप कर भी भ्रष्टाचार करने में डर रहे हैं। अनैतिकता के बनते हुए कीर्तिमान अब नैतिकता के कीर्तिमान बनाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। उम्मीद नहीं कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ संकेत दिखने लगेगा किन्तु सच्चाई यह है कि संकेत दिखने लगा है। मैं मानता हूँ कि इस दिखने के पीछे नरेन्द्र मोदी को मिला पुर्ण बहुमत का परिस्थिति जन्य सहारा भी है। किन्तु मैं नहीं मानता कि इस सफलता में मोदी की कार्यशैली की सफलता का योगदान न हो। मैं यह भी मानता हूँ कि नरेन्द्र मोदी की नैतिकता के मामले में मिलने वाली सफलता में उनके सहयोगी संघ की छवि भी काम आयी। विदित हो कि संघ अब तक एक ऐसा संगठन है जिनके कार्यकर्ताओं की नैतिकता तथा भ्रष्टाचार के सम्बंध में कोई प्रश्न विन्द नहीं लगाया जा सकता। 2014 का उत्तराध 1947 से 2014 के पूर्वाध तक की नैतिक गिरावट को रोकने की शुरुवात करने में मील का पत्थर साबित हागा।

मैं मानता हूँ कि नरेन्द्र मोदी बहुत ठीक गति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी तक सामाजिक उच्चर्खलता में कमी नहीं आयी है। हर बात पर तोड़फोड़ और आग लगाने जैसी घटनायें निरंतर हो रही हैं। न सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने में काई कमी आ रही है न व्यक्तिगत सम्पत्ति के नुकसान में। जिस तरह नरेन्द्र मोदी का मृँह देखकर ही नेताओं के नैतिकता के मापदण्ड बदल गये उसी तरह इस तोड़ फोड़ की प्रकृति पर भी रोक लगाने के लिए मोदी जी को आगे आना चाहिए। यदि एक बार एक अध्यादेश लाकर मोदी जी घाषित कर दे कि किसी भी रूप में किसी भी कारण से यदि किसी की व्यक्तिगत या सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचेगा तो बिना उसके कारणों के औचित्य पर विचार किये ही उक्त सम्पत्ति की वसूली नुकसान करने वाले से की जायेगी। एक भाषण देकर यदि मोदी जी ऐसा अध्यादेश पारित कर दे तो मुझे विश्वास है कि उस दिन से यह उच्चर्खलता समाप्त हो सकती है। मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में संघ परिवार मोदी जी का सहायक नहीं होगा क्योंकि उनके खुद के लोग ऐसी तोड़फोड़ को प्रोत्साहित करने में संलग्न पाये जाते हैं। फिर भी यदि मोदी जी चाहेंगे तो संघ परिवार ऐसी सहमति देने को तैयार हो सकता है। मैं यह भी जानता हूँ कि मोदी जी से दो वर्षों में जो कुछ करने की उम्मीद की गई थी उतना उन्होंने छः महिने में ही कर दिखाया है और उनसे और कुछ माँग करना उचित नहीं माना जायेगा, किन्तु यह भी सही है कि कार्य करने वाले से ही कुछ उम्मीद जगती है। निकम्मों से कभी कोई माँग करने का औचित्य नहीं है। यही सोचकर मैंने मोदी जी से यह उपेक्षा की है। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल मोदी जी इस दिशा में भी कदम बढ़ायेंगे।

(1) नरेन्द्र सिंह जी प्रवक्ता व्यवस्थापक, बुलन्दशहर, यू०पी० ज्ञानतत्व—8442

मैं ए टू जेड न्यूज चैनल पर आपके विचार सुनता रहा हूँ। ऐंकर रामवीर श्रेष्ठ आपका परिचय कराते समय आपको मौलिक चिन्तक कहकर संबोधित करते हैं। आप बताइये कि विचारक, चिन्तक तथा मौलिक चिन्तक में क्या फर्क है? यह भी बताइये कि आपमें ऐसी क्या विशेषता है कि आपके चिन्तन को मौलिक कहा जा सके?

उत्तरः— मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि तीनों शब्दों के अर्थों में क्या फर्क है। रामवीर जी श्रेष्ठ ने क्या फर्क देखा यह वे ही बता सकते हैं। फिर भी विचार मंथन के उद्देश्य से मैं अपना विचार रख रहा हूँ।

विचारक वह होता है जो किसी विषय पर उस समय प्रचलित धारणाओं पर चिन्तन करके कुछ निष्कर्ष निकालता है। विचारक के निष्कर्ष देश काल परिस्थिति आधारित होते हैं तथा देश काल परिस्थिति बदलते ही बदल भी सकते हैं। चिन्तक हमेशा आत्म केन्द्रित होता है तथा देश काल परिस्थिति अथवा विभिन्न स्थापित विवारों की समीक्षा न करके कोई मौलिक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य को ही अनुसंधान या रिसर्च भी कह सकते हैं। यदि कोई चिन्तक अनेक विषयों पर मौलिक चिन्तन करके एक से अधिक विषयों पर ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करता है जो उक्त विषय पर उस समय तक की स्थापित धारणाओं से भिन्न हो तथा विश्व स्तर पर जिसे कोई चुनौती न हो उसे मौलिक चिन्तन तथा उक्त व्यक्ति को मौलिक चिन्तक कह सकते हैं।

मैंने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नये निष्कर्ष दिये हैं जो देशकाल परिस्थिति अनुसार ग्राह्य हो सकते हैं किन्तु विश्व स्तरीय नहीं हैं। मैंने परिवार की एक नई संरचना बताई है। मैंने यह भी कहा है कि कन्या भूषण हत्या या महिला सशक्तिकाण प्रचार हानिकार है तथा समाज को महिला पुरुष में तोड़कर समस्याओं का विस्तार करेगा। मैंने भारत में महंगाई घटते जाने की बात कही है तथा यह भी कहा है कि महंगाई बढ़ने का हल्ला श्रम शोषण के उद्देश्य से बुद्धिजीवियों तथा पूँजीपतियों का बड़यंत्र है। मैंने व्यक्ति और नागरिक को भी अलग अलग पहचान देकर उनके अधिकार परिभाषित किये हैं। मैंने गुण प्रधान धर्म और पहचान प्रधान धर्म के साथ साथ धर्म और संगठन के बीच भी फर्क किया है। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि मुसलमान साम्यवादी तथा संघ परिवार का काम करने का तरीका एक है। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बुद्धिजीवियों, पूँजीपतियों तथा मिडिल क्लास का एकाधिकार है। ये लोग श्रम शोषण के उद्देश्य से कृत्रिम उर्जा को सस्ता बनाकर रखते हैं। इस तरह की अनेक राष्ट्र स्तर की ऐसी बाते हैं जिन्हें मैंने प्रस्तुत किया है।

इनके साथ साथ मैंने अनेक विश्व स्तरीय निष्कर्ष भी दिये हैं जिन पर विचार मंथन जारी है। किन्तु कम से कम तीन विश्वस्तरीय ऐसे निष्कर्ष हैं जो पहली बार प्रस्तुत किये गये हैं तथा जिन्हें आज तक न तो किसी ने चुनौती दी है न ही पूर्व स्थापित बताया है। ये तीन निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

(1) अपराध—व्यक्ति के मालिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध है। (1) चोरी, डकैती, लूट (2) बलात्कार (3) मिलावट, कमतौल

(4) जालसाजी, धोखाधड़ी (5) हिंसा, बलप्रयोग, आतंकवाद अपराध कहे जाने वाले अन्य अनेक कार्य गैर कानूनी या असामाजिक तो हो सकते हैं किन्तु अपराध नहीं।

(2) संविधान—राज्य के अधिकतम तथा समाज के न्यूनतम अधिकारों की सीमायें निश्चित करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। राज्य के न्यूनतम तथा व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमायें निश्चित करने वाला दस्तावेज कानून होता है।

(3) मूल अधिकार—व्यक्ति के वे प्रकृति प्रदत्त अधिकार जिन्हें राज्य सहित कोई भी अन्य किसी भी परिस्थिति में तब तक कोई कटौती न कर सकें जब तक उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के वैसे ही अधिकारों का उल्लंघन न किया हो। इस तरह संविधान मौलिक अधिकार देता नहीं बल्कि व्यक्ति को मूल अधिकारों की गारंटी मात्र देता है।

मुझे लगता है कि इन तीन विश्व स्तरीय मौलिक परिभाषाओं तथा कुछ अन्य विवारों से प्रभावित होकर ही ऐंकर रामवीर जी चर्चा में मुझे मौलिक चिन्तक कह कर संबोधित करते हैं।

(2) राम देव प्रसाद शर्मा, खगड़िया बिहार ज्ञानतत्व 22678

ज्ञान तत्व 16–30 नवम्बर 14 अंक में हिन्दु, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान आदि विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके पूर्व तिलक दहेज, भारतीय संविधान, शासन, महात्मा गांधी, अम्बेडकर इत्यादि पर बराबर चर्चा होती रही है मैं भी अपना विचार लिखने लगा तो वह पद्यमय बन गया, यथार्थ में ज्ञान तत्व की विधा गयी है। मेरे विचार से मानव कल्याण के लिए सर्वोपरि गांधीवाद ही है। ईश्वर के बाद अस्थि मॉस शरीर धारी मानव कल्याणकारी अगर कोई व्यक्ति है, तो वह है महात्मा मोहन दास कर्मचन्द गांधी। ऐसा ही विचार महान वैज्ञानिक आइन्स्टाईन का भी रहा है। इसी विचार का धूरी में रखकर रचना अलग से बुक पोस्ट से भेज रहा हूँ जिसका शीर्षक है—नाम बदनाम न कर इन्सान बन। इन्सान बन शीर्षक में अंकित करने की कृपा करेंगे जो छूट गया है। लिफाफा साट देने के बाद अन्तिम दो पक्षियों में भी सुधार किया गया है, जो इस प्रकार है न बन भगवान न दानव पर अवश्य इन्सान बन, हाथ मिला चरण सिर झुका कर परस्पर नमन। इसे भी सुधार करने की कृपा करेंगे।

उत्तर:—समाज में व्यक्ति चार प्रकार के होते हैं—(1) विचारक (2) सुरक्षा कर्ता (3) व्यवस्था कर्ता (4) श्रमिक।

पुराने जमाने में पहले को ब्राह्मण, दूसरे को क्षत्रिय, तीसरे को वैश्य तथा चौथे को शुद्र कहते थे। विचारक के लिए यह आवश्यक था कि वह मृत महापुरुषों के विचार बिना चिंतन किये कभी भी अक्षरशः न ग्रहण करे न समाज को दे। अन्य तीन वर्ण परिस्थिति तथा अपनी योग्यतानुसार महापुरुषों का अनुकरण भी कर सकते थे। मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी ऐसे महापुरुषों में है जिनके विचार तब तक अनुकरणीय हैं जब तक कोई अन्य महापुरुष समाज में स्थापित न हो जाये किन्तु मैं गांधी के विचार उनके जाने के बाद विचारकों के लिए बिना चिन्तन मनन के ही अक्षरक्षः स्वीकार करने अथवा प्रचारित करने के विरुद्ध हैं। गांधी स्वयं एक विचारक थे। यदि उन्होंने भी स्वतंत्र विचार मंथन छोड़कर स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द, गोखले या तिलक का अक्षरशः अनुकरण किया होता तो न देश को स्वतंत्रता में उनका निर्णायक नेतृत्व हो पाता न ही गांधी स्वयं को गांधी ही सिद्ध कर पाते। आज के गांधीवादियों में यदि कोई विचारक शामिल रहा होता तो वह स्वतंत्रता के पूर्व बताये गये गांधी मार्ग का अन्धानुकरण करने की अपेक्षा उस मार्ग की दिशा खोजने का प्रयत्न करता जो वर्तमान देशकाल परिस्थिति में यदि गांधी होते तो करते।

वर्तमान समय में गांधी के बाद कोई गंभीर विचारक स्थापित नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में राजनेता, व्यवसायी या श्रमिक आज भी गांधी मार्ग को ही अन्तिम मार्ग माने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग गांधी मार्ग का बिना विचारे अनुकरण भी करें तो गलत नहीं किन्तु मैं एक विचारक हूँ तथा संभवतः आप भी होंगे। हमें विचारकों के समान पूर्व के महापुरुषों के विचारों की समीक्षा करके ही समाज को दिशा देनी चाहिये। मेरे विचार में आज विचारकों का अभाव हो गया है। ज्यों ही किसी बालक में स्वतंत्र विन्तन की प्रतिभा दिखती है त्यों ही स्थापित संगठन उनका ब्रेनवाश करके अपने साथ जोड़ने का भरपूर प्रयत्न करने लगते हैं। विचारकों का अभाव समाज के समक्ष एक खतरनाक संकट है। हमें मिलजुलकर इस संकट का समाधान निकालना चाहिये।

आपकी रचना मिली। मैंने पढ़ा। पूरी रचना में कोई ऐसा वाक्य नहीं मिला जो विवादग्रस्त हो या असत्य हो। ज्ञान तत्व विचार प्रसार की पत्रिका न होकर विचार मंथन तक सीमित है। यह पत्रिका भावनात्मक निष्कर्षों की समीक्षा करके वैचारिक धरातल देती है। आपकी रचना विचार मंथन के लिये उपयोगों न होने से न छापना मेरी मजबूरी है। व्यवस्थापक अर्थात् व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी का कार्यालय भी ज्ञानतत्व कार्यालय से ही संचालित होता है किन्तु व्यवस्थापक के विचार या कार्यक्रम भी ज्ञानतत्व के उत्तराधि में ही जाते हैं, पूर्वाधि में नहीं क्योंकि ज्ञानतत्व का पूर्वाधि विचार मंथन तक समित होता है।

3 चद्रशेखर धर्माधिकारी, नवनीत हिन्दी, डाइजेस्ट, दिसम्बर 2014

विचार —एक चित्रकार सुन्दरता की खोज करते करते जब थक कर घर लौटा तो उसे घर में ही सुन्दरता का खजाना प्राप्त हुआ जहाँ उसे श्रद्धा के रूप में बालक, प्रीति के रूप में पत्नी तथा माता पिता के सम्पर्क से शान्ति मिली। चित्रकार ने माना कि घर ही वह एकमात्र पाठशाला है जहाँ एक ही स्थान पर सुन्दरता के अलग अलग रूप एक जगह दिख सकते हैं।

रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है—‘मेरा घर मेरा यक्ष मंदिर, पूजा स्थान, अतिथिगृह और सुरक्षा का प्रेममय किला सब कुछ है, इसे ही तो घर कहते हैं, ’क्या ऐसा घर फेसबुक पर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दिखाई दे सकता है? पारिवारिकता या कौटुम्बिक भावना पर आधारित समाज रचना के सामने यही आज का यक्ष प्रश्न है जो भारतीय संस्कृति और मानवीय मुल्यों के सामने की चुनौती है और ‘हाउस’ और ‘होम’ में का यही फर्क भी है। ‘घर’ शब्द का अर्थ ‘भवन’ शब्द से कहीं अधिक है। मकान रहने का स्थान है और घर प्रेम करने का! सरकारें ‘भवन’ बना सकती हैं परं ‘घर’ तो कवल लोग ही बना सकते हैं और हमारे देश की मजबूती हमारे लोगों के चरित्र में ही निहित है जो कि अपने ‘मकानों’ को घर बनाना चाहते हैं। क्या यह साधन फेसबुक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से हासिल हो सकेगा? कुछ अर्सा पहले मैं जापान की राजधानी टोकियो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने गया था। वापसी में हांगकांग में हवाई अड्डे पर साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट नामक अखबार पढ़ने में आया। उसमें इन साइट शीर्षक से कुछ लेख छपे थे। एक लेख का शीर्षक था—‘लॉस्ट कनेक्शन’ इस लेख में हांगकांग में ट्रॉटे परिवार और कौटुम्बिक भावना के विनाश पर टिप्पणी की गयी थी और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसका पमुख कारण फेसबुक है। इसी संदर्भ में पश्चिमी देशों के अखबारों में यह शिकायत की गयी है कि फेसबुक के कारण सीधे सम्पर्क समाप्त हो रहे हैं और नकारात्मक भावना का विकास हो रहा है। इतना ही नहीं यह तलाक की बढ़ती संख्या का प्रमुख कारण है।

ब्रिटेन की संस्था डाइवोर्स ऑन लाइन ने 2012 में तलाक के लिए प्रस्तुत की गयी अर्जियों के परोक्षण के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि 33 फीसदी तलाक की अर्जियों फेसबुक के कारण ही दायर की जाती है। डेली मेल प्रकाशन के ऑनलाइन अखबार के प्रवक्ता मार्क कीनन के मतानुसार फ्लर्ट यानी बिना गम्भीरता से हलके ढंग से प्रेम प्रदर्शन करना या इश्कबाजी करने का सबसे प्रचलित और आसान साधन फेसबुक ही है। ‘अमेरिका एकेडमी ऑफ मेट्रिमेनीयल लॉयर्स’ की राय है कि इस सोशल नेटवर्किंग के कारण ही तलाक की संख्या में बढ़ोत्तरी आयी है। इतना ही नहीं वैश्विक स्तर पर जीवन का श्वास बन रही नेटवर्क सोसायटी के

कारण सामाजिकता, परस्पर सम्बंध और संपर्क की आवश्यकता नहीं रही। सब कुछ कमरे की चार दिवारी में चल रहा है। एक नयी जीवन प्रणाली अस्तित्व में आ रही है। 'अनामिक' या वर्चुअल समाज जिसे आभासी समाज भी कह सकते हैं, बढ़ रहा है। मैंने जानबूझकर परदेश की विवेचना की है, क्योंकि हमें आयातित चीजें और विचार या जीवन प्रणाली ही अधिक पसंद हैं।

हम भूल जाते हैं कि नकल कभी असल नहीं होती। फेसबुक पर मुख्यदर्शन भी जाली और नकली हो सकता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष सम्पर्क या दर्शन नहीं हैं परिणामस्वरूप अब सम्बंध टूट रहे हैं बिना परस्पर सम्बंध या सम्पर्क के 'निवास' उभर रहे हैं अब तो पड़ोस भी सम्बंध विहीन है हम एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, लेकिन साथ नहीं रहते।

उत्तर:—मैं इस बात से सहमत हूँ कि परिवार व्यवस्था सहजीवन सिखाने वाली पहली पाठशाला है। परिवार व्यवस्था माता पिता से शुरू होती है और पति पत्नि से गुजरते हुये पुत्र पुत्री तक आकर पूरी हो जाती है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि परिवार व्यवस्था की शुरुवात पति पत्नों से होती है। और यदि इसकी शुरुवात पति पत्नों से होती तब तो इसकी टूटन के कारणों में फेसबुक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता था किन्तु माता पिता पति पत्नों और बच्चों को मिलाकर बनने वाले परिवार में टूटन के कारणों में फेसबुक एक कारण होते हुए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं।

परिवार न कही से प्रारंभ होता है न समाप्त। परिवार सतत सक्रिय इकाई है जो हजारों वर्षों तक निरंतर चलती रहती है। यह अलग बात है कि समय समय पर परिवार विभाजित होकर नये परिवार भी बनाते रहते हैं।

परिवार व्यवस्था को समाप्त करने की शुरुवात वहाँ से हुई जब गौंधी के मरते ही दो ऐसे भारतीय भारत का भाग्य लिखने लगे जिनके नाम तथा सूरत शक्ल छोड़कर कुछ भारतीय नहीं था। भारत परिवार को व्यवस्था की पहली इकाई मानता था तथा समाज को अन्तिम। पश्चिमी जगत तथा समाजवादी व्यवस्था व्यक्ति के बाद सीधे राज्य या समाज से जोड़ देती है। बीच में परिवार की मान्यता नहीं होती। ऐसे भारतीय पण्डित नेहरू तथा भीमराव अम्बेडकर ने न सिर्फ परिवार व्यवस्था को अमान्य ही किया बल्कि उन्होंने परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के सभी साधन बना दिये। परिवार एक ऐसी मजबूत इकाई है कि जिसके सदस्यों का परिवार में रहते हुए सामूहिक अस्तित्व होता है, पृथक नहीं। परिवार अपने आप में एक संगठन है जिसमें संगठन का अनुशासन अनिवार्य है। मैं आज तक नहीं समझा कि परिवार का कोई सदस्य बिना पारिवारिक सहमति के किसी अन्य संगठन की सदस्यता कैसे ले सकता है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि महिला सशक्तिकरण का नारा परिवार तोड़क है या नहीं? चाहे गौंधीवादी हों या वामपंथी चाहे कोई नेता हो अथवा धर्म गुरु। सभी चाहे ना समझी में या बड़यंत्र के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण जैसे असामाजिक प्रयत्न को सामाजिक कार्य घोषित करने में गर्व महसूस करते हैं। बालिग मताधिकार भी ऐसा ही घातक प्रयत्न था। जब हमारा एक सांसद लाखों मतदाताओं के स्थान पर संसद में प्रतिनिधित्व कर सकता है, मंत्रिमंडल का सदस्य मंत्रिमंडल में रहते हुए बाहर में स्वतंत्र विचार नहीं रख सकता उसी तरह बालिग मताधिकार की जगह परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक मुखियों को नियुक्त करते तथा निर्वाचित मुखियों ही आगे वोट देता जिसके वोट परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर गिने जाते। परिवार की सम्पत्ति में भी सबका समान हिस्सा समान अधिकार होना चाहिये था। परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति में सबका समान हिस्सा होने से महिलाओं को पृथक सम्पत्ति अधिकार की बात नहीं उठती।

इसी तरह परिवार को वृद्ध और जवान में बॉटना भी घातक है। वृद्धश्रम जैसी अवधारणा पूरी तरह घातक है। जो वृद्ध परिवार छोड़कर अपना आर्थिक हिस्सा लेकर बाहर निकले उन्हें आप ग्राम परिवार में रख सकते हैं अन्यथा युवा प्रोत्साहन, वृद्ध सहायता जैसे विचार घातक हैं। मेरे विचार में फेसबुक की परिवार तोड़ने में बहुत मामली भूमिका है। बड़ी भूमिका है बालिग मताधिकार, व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, युवा प्रोत्साहन, वृद्ध सहायता आदि की। आप जैसे समाज सुधारक जितना परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न करते हैं उससे कई गुना अधिक घातक परिणाम राजनैतिक विचारधारा का होता है। मैं चाहता हूँ कि आपके प्रयत्नों के साथ साथ परिवार तोड़क राजनैतिक प्रयत्नों के विरुद्ध भी जनमत बनना चाहिये।

(4) हितेश कुमार शर्मा, बिजनौर, उत्तरप्रदेश ज्ञान तत्व-8199

विचार- देश में बलात्कार की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। ज्यों ज्यों समाधान के प्रयत्न बढ़ रहे हैं त्यों त्यों ऐसी घटनाएँ तेजी से या तो बढ़ रही हैं या प्रकाश में आ रही हैं। मैंने इस विषय में बहुत सोचा तो महसूस हुआ कि समाधान गलत दिशा में हो रहे हैं। बलात्कार वृद्धि के तीन प्रमुख कारण हैं—(1) न्यायपालिका की प्रभाव हीनता। न्यायपालिका ऐसे अपराधियों में भय का संदेश देने में असफल है। मुकदमे लम्बे चलते हैं तथा किसी न किसी तकनीकी कारण का सहारा लेकर अपराधी छूट जाता है। (2) महिलाओं में पाश्चात्य संस्कृति का विकास। महिलाये अपनी सुरक्षा के प्रति जरा भी सतर्क न रहकर वे रात तक या तो अकेली या अपने व्याय फ्रेन्ड के साथ घूमती रहती हैं। ऐसी स्थिति में बलात्कार की घटनाओं का बढ़ाना स्वाभाविक है। (3) युवाओं में पारिवारिक सामाजिक भय का अभाव। अब युवकों में उच्छ्रृंखलता बढ़ती जा रही है। न परिवार का अनुशासन है न सामाजिक प्रतिष्ठा का भय। ऐसी स्थिति में यदि उसे उत्तेजना और एकान्त एक साथ मिल जाता है तो वह अपने को रोक नहीं पाता। हमारे राजनेता इन कारणों पर विचार किये बिना ही बलात्कार रोकना चाहते हैं जो संभव नहीं। इस संबंध में आपका क्या विचार है?

उत्तर:— भारत में बलात्कार की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं। इसके बढ़ने में वे कारण महत्वपूर्ण नहीं जो आपने बताये हैं। मेरे विचार में प्रमुख कारण है करीब दो प्रतिशत महिलाओं का परिवार व्यवस्था से मोह भंग होना। ये महिलाएँ अपनी शारीरिक भूख मिटाने के निमित्त किसी खूंटे से बंध कर नहीं रहना चाहतीं। इस इच्छा पूर्ति के लिये उन्हें सबसे अधिक सहायक है महिला सशक्तिकरण की आवाज मजबूत करना। हमारे अधिकार्य राजनेताओं को महिला सशक्तिकरण के नाम पर दो सुविधाएँ एक साथ मिलती हैं। (1) वोट (2) अपनी शारीरिक भूख मिटाने में आने वाली बाधाओं का कमज़ोर होना। ऐसे पुरुष और महिलाएँ सम्पूर्ण भारत में दो प्रतिशत से भी कम हैं किन्तु राजनीति, मीडिया, सामाजिक संगठन से बढ़ते बढ़ते धार्मिक संगठनों तक इनका प्रभाव है। ये पुरुष को उपभोक्ता तथा

नारी को उपभोग्य प्रमाणित करन में जी जान लगाए हुए हैं और ऐसे असत्य प्रसार में इनके साथ ऐसे दो प्रतिशत पुरुष और महिलाएँ तक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि काम वासना पूर्ति के मामले में महिला और पुरुष एक दूसरे के समान रूप से पूरक हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि महिला या पुरुष में से कोई एक दूसरे का उपभोग करता हो। महिला सशक्तिकरण के कारण महिला और पुरुष के बीच की दूरी घट रही है। सरकारी नौकरी में अथवा राजनीति में अथवा अन्य स्थानों पर भी इस दूरी को घटाने का लगातार प्रयास हो रहा है। इस दूरी के घटने से ऐसे दो प्रतिशत स्त्री पुरुषों को एक साथ होने में सुविधा हो जाती है।

मुझे तो आश्चर्य है कि कुछ ना समझ लोग बिना विचारे महिला सशक्तिकरण की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ऐसे परिवार तोड़क प्रचार का विरोध होना चाहिये। दो प्रतिशत ऐसे स्त्री पुरुषों को कोई अधिकार नहीं कि वे अठठानवे प्रतिशत परिवारिक परिवारों पर अपने कानून थोप सकें।

मुझे तो इस समस्या का एक ही समाधान दिखता है कि परिवार के लोगों को अपने परिवारिक निर्णय की स्वतंत्रता हो। जो परिवार महिला और पुरुषों के बीच दूरी घटाने के पक्षधर है उन्हें पूरी स्वतंत्रता हो कि वे खुली घूमें। कोई अन्य उन पर कोई रोक न लगावे। दूसरी ओर जो परिवार महिला और पुरुष के बीच दूरी बढ़ाने के पक्षधर हों उन्हें भी छूट हो। इन पर भी कोई कानून बाधा न पैदा करे। परिवार सशक्तिकरण समाज सशक्तिकरण ही समस्या का समाधान है।

दो दिवसीय जन जागरण मंथन सम्मेलन का समापन

रामानुजगंज। व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी का दो दिवसीय जन जागरण मंथन सम्मेलन का आज यहाँ समापन हुआ। ध्यातव्य है कि यह सम्मेलन व्यवस्थापक (व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी) द्वारा नालंदा विश्व विद्यालय के पूर्व आचार्य डॉ ईश्वर दयाल के नेतृत्व में संचालित अखिल भारतीय जन जागरण यात्रा के प्रथम सत्र के समापन के अवसर पर आयोजित किया गया था। यह यात्रा विगत सात अक्टूबर को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड के विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई 25 दिसम्बर को यहाँ पहुँची थी। जन जागरण जस्था के यहाँ पहुँचने पर आचार्य पंकज (ऋषिकेश) तथा श्री राकेश शुक्ल (दुर्ग म०प्र०) के नेतृत्व में नगर के गणमान्य जनों ने उसका स्वागत किया।

इस अवसर पर सत्यनारायण धर्मशाला, रामानुजगंज के प्रांगण में आयोजित जन जागरण मंथन सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से आये प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए व्यवस्थापक के प्रेरणा स्त्रोत श्री बजरंग मुनि ने कहा कि स्वान्त्रोत्तर भारत म परिस्थितियां दिन-दिन जटिल से जटिलतर होती जा रहीं हैं। देश राजनैतिक नेताओं, नौकरशाहों कारपोरेट घरानों और अपराधी तत्वों का चारागाह बनकर रह गया है। आम जनता की परिवर्तन की आकंक्षा हर बार सत्ता परिवर्तन बनकर रह जाती है। उन्होने जोरदार शब्दों से आम जन से व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान किया।

जन जागरण दल के संयोजक डा० ईश्वर दयाल ने उन चार बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जिसका संदेश देता दल देश के विभिन्न भागों में घुम रहा है। वे चार बिन्दु हैं—

1 परिवार, गांव और जिले को संवैधानिक अधिकार

2 संसद की उत्तर्खलता पर नियंत्रण के लिए लोक संसद को स्थापना

3 मतदाताओं को जन प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार (राईट टू रिकाल)

4 प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार मूल रुपये राष्ट्रीय आय में से लाभांश के रूप में देने का प्रावधान

उक्त चार बिन्दुओं पर विश्लेषण ए टू जेड टेलीविजन पर सीधे प्रसारित भी किया गया। प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह ने ग्यारह हप्ते तक दस प्रान्तों में चली जन जागरण यात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर दस राज्यों में दस हजार किं०मी० की यात्रा हुई नब्बे बैठकें हुई और दस हजार जनता से सीधा संवाद हुआ।

ग्राम सभा सशक्तिकरण सत्रा में डा० राकेश शुक्ल (दुर्ग) के नेतृत्व में रामराज गुप्ता व सुनील विश्वास ने रामानुजगंज के पंद्रह वार्डों और निकट के एक सौ तीस गांवों में चलने वाले ग्राम सभा सशक्तिकरण के प्रयोगों, बाधाओं और दशा दिशा पर विस्तार से प्रकाश डाला।

यात्रा दल के सदस्यों ओम प्रकाश दुबे (नोएडा), छबील सिंह सिसौदिया (उ०प्र०), अर्थ शास्त्री, रौशन लाल ने यात्रा के खटटे-मीठे अनुभव सुनाये। आगामी यात्रा के लिये पूरे देश को आबादी और क्षेत्र के आधार पर सघन, सामान्य और विरल क्षेत्रों में बॉटकर यात्रा और संगठन करने का निश्चय किया गया। सघन क्षेत्र में दिल्ली और उसके आस पास के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र रखे गये हैं जहाँ देश की लगभग एक तिहाई आबादी रहती है। सामान्य क्षेत्र में शेष हिन्दू भाषी क्षेत्र जम्मु कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र रखे गये हैं। शेष दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत को विरल क्षेत्र में रखा गया है। आगामी दो वर्षों में इन क्षेत्रों में व्यवस्थापक का संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने का संकल्प व्यक्त किया गया।

आगामी यात्रा मध्य फरवरी या मार्च से प्रारंभ होने की संभावना है।

देश के विभिन्न भागों से से आये प्रबुद्ध जनों सर्व श्री रामकृष्ण पौराणिक, उज्जैन, आचार्य राजकिशोर शास्त्री (मेरठ), सुधीर तालियान (उत्तर प्रदेश), आफताब, अयुब वारी (जम्मु काश्मीर), संतोष माखरीया (झारखण्ड), चन्द्रशेखर शशि (सुपौल), आदित्य कुमार सिंह (दरभंगा), डा० जैनेन्द्र कुमार शुक्ल प्रभात (गापालगंज), बाल किशोर त्यागी, ऋषिपाल सिंह यादव (सम्बल), आदि ने भी अपने विचार रखे और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सतत कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

आचार्य पंकज (ऋषिकेश) ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर सर्व श्री गणेश रवि (डालटनगंज), मो० सनाउल्लाह (छत्तीसगढ़), सीर अहमद मोनाजीर अहमद (जम्मु कश्मीर), मो० मुस्तफा (लक्खी सराय), रमेश कुमार चौबे (पटना), कामेश्वर प्रसाद (राजगीर) आदि उपस्थित थे।

व्यवस्थापक व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी

व्यवस्थापक की जन जागरण यात्रा—एक दृष्टि—

व्यवहार जगत में जीवन का व्यवस्थागत प्रबंध सम्यता का प्रतीक है। जीवन एकांगी नहीं हो सकता। प्राकृतिक एंव भौतिक आवश्यकतायें व्यक्ति को परस्पर रूप से अन्य पर निर्भर करती हैं। जिसका परिणाम समाज नाम की संस्था के निर्माण के रूप में हमारे सामने आता है। प्राकृतिक एंव भौतिक दोनों दृष्टिकोण से व्यवस्था जीवन की आवश्यकता है। यद्यपि आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था के स्वरूप की विवेचना कई दृष्टिकोण से की जा सकती है। जैसे कि तत्काल में हमारा विषय भारत की राज्य व्यवस्था पर केन्द्रित है। जिसके सत्ता लोलुप प्रकार ने समाज की दशा और दिशा दानों को ही पतनोन्मुख कर दिया है। वर्तमान का भारतीय लोकतंत्र समाज को व्यवस्थित करने का प्रकार नहीं है बल्कि यह समाज पर शासनगत नियंत्रण करने का प्रकार है। इस विषय में छत्तीसगढ़ राज्य के रामानुजगंज (बलरामपुर) में व्यापक अनुसंधान होते रहे हैं। स्थापित व्यवस्था की विषय वस्तु को लेकर किये गये अनुसंधान के निष्कर्ष स्वरूप व्यवस्था के ढांचे में निहित खामियों के उन्मूलन हेतु हम एक आंदोलन की रूप रेखा समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आंदोलन के चार सूत्र निम्न प्रकार हैं—

- 1 परिवार, गांव व जिला को संवैधानिक अधिकार।
- 2 संसद की उच्चश्रृंखलता पर नियंत्रण के लिए लोक संसद की स्थापना।
- 3 मतदाताओं को जन प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार।
- 4 प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार मूल रूपये राष्ट्रीय आय से लाभांश देने की व्यवस्था।

ये चार सूत्र किस प्रकार स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन की भूमिका तैयार करेंगे समाज के सामने इस विषय की विवेचना करने हेतु व्यवस्थापक संस्था के तत्वाधान में प्रथम चरण में दिनांक 7/10/2014 से 24/12/2014 तक देश के दस राज्यों के करीब एक सौ बीस स्थान पर सम्पर्क यात्रा की शुरुआत वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से हुई। यात्रा की शुरुआत के समय इस आंदोलन के प्रेरणा श्रोत श्री बजरंग मुनि ने यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं द्वारा समाज को यह संदेश देने हेतु विदा करते हुए अपने उद्बोधन में कहा— मैं यह यात्रा किसी सरकार, राजनीतिक दल या संगठन के विरुद्ध नहीं हूँ। हमारे द्वारा लोगों को दिया जाने वाला संदेश यह है कि हम लोग उस स्थापित व्यवस्था के ढांचे में ही परिवर्तन चाहते हैं जिसकी खामियां समाज के कष्टों की उत्पत्ति व विस्तार का कारण हैं। हम व्यवस्था चलाने वाले व्यक्तियों के परिवर्तन की बात नहीं करते, वह जनता द्वारा निर्वाचित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हमारे परिवर्तन का उद्देश्य तो व्यवस्था के ढांचे में निहित है। जिन चार सूत्रों के आधार पर हम यह आंदोलन करने का विषय समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके आधार पर परिवर्तित होने वाली या नई बनने वाली विधियां व्यवस्था (शासन) को राज्य सापेक्ष के स्थान पर समाज सापेक्ष बना देंगी। वाराणसी से शुरुआत के बाद यात्रा का पहला पड़ाव उत्तर प्रदेश के बिल्हरा रोड में श्री जे० पी० सिंह के तत्वाधान में हुआ। यहां पर यात्रा में शामिल वक्ताओं ने व्यवस्था के लोक नियंत्रित ढांचे के गुण धर्म की विवेचना की तो साथ में स्थानीय कार्यकर्ताओं के सामने यह भी प्रश्न उठाया कि भारत श्रम बाहुल्य देश है। यदि श्रम की प्रतिस्पर्धी अर्थात् कृत्रिम उर्जा श्रम से सस्ती रहेगी तो भला भारत की आर्थिक असमानता तथा विपन्नता का उन्मूलन कैसे हो सकेगा? इस कम में आगे बढ़ते हुए यात्रा के कार्यकर्ता मउनाथ भंजन, सुजिया मउ (जौनपुर), जंगीगंज (भदोही) जहानाबाद (फतेहपुर) होते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले में पहुँचे। यूं तो यात्रा के प्रत्येक केन्द्र पर आंदोलन के विषयों तथा स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा हुई, लेकिन बुंदेल खंड की स्थिति देख—समझकर जन जागरण यात्रा के कार्यकर्ताओं के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या लोक स्वराज्य के इस आंदोलन की पृष्ठभूमि का बीज बुंदेलखंड की जमीन पर ठीक उसी प्रकार बोया जा सकेगा जिस प्रकार विहार के चंपारण जिले में गांधी का “निलहे गोरों” के विरुद्ध प्रसिद्ध “नील आंदोलन” हुआ था। व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य समाज के संतुलन में निहित है। लेकिन क्या व्यवस्था की स्थापना का सिद्धान्त राज्य को ऐसा निरंकुश बना देता है कि वह समाज के अधिकारों का भक्षण शुरू कर दे। प्राकृतिक सम्पदायें सर्वथा समाज को प्राप्त होती हैं, राज्य को नहीं। प्राकृतिक एंव भौगोलिक स्थितियों—परिस्थितियों को समाज सदैव जीवन के अनुकूल बनाता है और जीवन के क्रमिक विकास में उनका नियोजन करता है। क्या राज्य को व्यापार तथा राज्यगत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से समाज को ऐसा करने से रोक देना चाहिए। बुंदेलखंड के लोगों के सामने आज ऐसी कई शासन जनित समस्यायें हैं जिनका निवारण इस आंदोलन के सूत्रों के द्वारा किया जा सकता है और देश की समाज तथा राज्य व्यवस्था के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

यात्रा अपने कम में बढ़ते हुए खैरागढ़ व रोझौली (आगरा) से राजस्थान के भरतपुर व अलवर, हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद से नोएडा तथा गाजियाबाद जिले के रावली कलां गांव में पहुँचीं। यहां पर लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि लोकतंत्र में सरकार चलाने वाले नुमाइंदे का चयन तो जनता ही करती है। जनता जिस प्रकार के लोगों का चुनाव करती है, वैसा ही परिणाम लोगों के सामने आता है। देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था बुरे लोगों से मुक्त होनी चाहिए। तब सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जायेगा।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यात्रा दल के वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में देश पर किसी व्यक्ति या दल का शासन नहीं होता, संविधान का शासन होता है। संविधान की रीति—नीतियों के अनुसार ही व्यवस्था का कार्यान्वयन होता है। यदि संविधानिक विषय वस्तु अपनी कार्यकारी इकाईयों को व्यवस्था का समुचित कार्य करने के लिये बाध्य नहीं करती है, उल्ट ये

व्यवस्थागत इकाईयां अपने अपूर्ण और यथार्थ हीन प्रावधानों के द्वारा नियंत्रण हीन शक्ति प्राप्त करके नीतिहीन कार्य करते हैं तो व्यवस्था (राज्य) को उसके मूल के प्रति जबाब देह बनाने की आवश्यकता है।

आगे यात्रा दल मेरठ जिले के भूनि, डाहर, कुरथल, कालंद, मैनापूठी से होते हुए हरियाणा के करनाल जिले के सालवन गांव तथा कैथल शहर में बैठक करते हुए पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा कस्बे में पहुँची। राजपुरा में भारतीय राज्य व्यवस्था की कर प्रणाली एवं सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन की अजब बानगी स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा दल के सामने प्रस्तुत की गयी। किसी भी राज्य व्यवस्था द्वारा कर प्रणाली के नियमन का उद्देश्य व्यवस्था के आर्थिक प्रबंध में निहित होता है। पंजाब प्रांत की सरकार ने पांच जिलों में व्यापार पर कैसर टैक्स लगाया है तथा लोगों द्वारा अपने खेतों में धान के पुआल को जलाने पर रोक लगाते हुए यह कानूनी प्रावधान किया है कि जो किसान खेत में पुआल जलाते हुए पकड़े जायेंगे उन पर पचास हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। प्रश्न उठता है कि क्या यह कैसर टैक्स अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता से वसूल नहीं किया जायेगा! क्या राज्य की ऐसी कठोरता समाज का समुचित प्रबंध कर सकती है? आंदोलन के सूत्रों पर प्रकाश डालते हुए यात्रा दल के वक्ताओं ने कहा कि परिवार, गांव व जिले को यदि सर्वेधानिक अधिकार मिल जायेगे तो राज्य, समाज के विषयों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।

यात्रा दल मलेर कोटला (संगरूर), नैनेवाल, (बरनाला) पहुँचे। यहाँ पर यात्रा दल की बैठक एन आर आई श्री दर्शन सिंह नैनेवाल जी के तत्वाधान में हुई। उन्होंने विदेशों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर भारतीय लोकतंत्र की तुलना करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र का माहौल ही नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के अनुसार उनकी तुलना समिचीन ही प्रतीत होती है। यहाँ बैठक करते हुए यात्रा दल जम्मू पहुँचा। यात्रा जम्मू से खेड़ाचक (हिमाचल प्रदेश) हरियाणा के नारायणगढ़ से उत्तराखण्ड के देहरादून ऋषीकेश, हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अम्बौली, देवबंद, दल्हेड़ी से शामली, जिले के कंडेला, मन्डेल कला, दुल्लाखेड़ी में बैठक करते हुए पिलखुआ (हापुड़), दौराला (मेरठ), हापुड़ शहर, शाहपुर फगौता (हापुड़), गाजियाबाद, बनबोई व बनैल (बुलंदशहर) की बैठक में यात्रा का संदेश देते हुए एटा पहुँची। यात्रा अगले गन्तव्य कासगंज शहर से सहावर (कासगंज) में एक विशुद्ध पंथ निरपेक्ष भद्र जन डा० इस्लाम अहमद फारुखी के निवास पर पहुँची। सहावर में स्थानीय कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकास खण्ड के 130 गांवों में ग्राम स्वराज्य की स्थापना हेतु चलाये जा रहे ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चा हुई। यात्रा दल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हुए लोकस्वराज्य के लिये समर्पित कार्यकर्ताओं श्री बहादुर सिंह यादव व श्री ऋषिपाल सिंह यादव के कार्य क्षेत्र जिला बदायुं व सम्बल जिलों में पहुँची। इन जिलों के उज्जानी, सहस्रान, बवराला, धनारी, भगनगर, राजपुर, कमालपुर-खानूपुरा, मंडावली, रसूलपुर, बहरामपुर, केन्द्रों पर यात्रा दल के कार्यकर्ताओं की जनता के साथ बैठके हुई। इन बैठकों में एक महत्वपूर्ण विषय जो उबरकर सामने आया वह यह रहा कि क्या स्वराज्य का दृष्टिकोण समाज के परिवेश से राज्यगत सत्ता का अनर्गल प्रभाव समाप्त कर देगा? व्यक्ति मूलतः सत्ता के केन्द्र को अपने लिए सुरक्षा और न्याय के दाताके रूप में स्वीकार करता है। इस समाज में विरले व्यक्ति ही इस मानसिक द्वंद्व से मुक्त होते हैं कि किसी राज्यगत सत्ता केन्द्र के अभाव में व्यवस्था की स्थापना भी संभव है। लोकतंत्र में भी व्यक्ति राज्य के शासन गत स्वभाव को नहीं नकार पा रहा है। अलबत्ता इन बैठकों का परिणाम यह अवश्य आया कि ठेठ साधारण जनता भी उस परिवर्तन के लिए लालायित दिखी जो उसे सत्ता की नाकारा तासीर से सदैव के लिए मुक्ति दिला सके। इस क्रम में व्यवस्था की जन जागरण यात्रा आगे बढ़ते हुए उत्तराखण्ड के बाजपुर दिनेशपुर व लद्धपुर (उधमसिंह नगर) बसौली (अल्मोड़ा) बागेश्वर शहर व भनार (बागेश्वर) में हिमालय पर्वत की ऊँची चोटियों तक पहुँची। इस उचाई से अपने केन्द्र की ओर लौटते हुए पहली बैठक बरेली (उत्तर प्रदेश) में हुई। बरेली में कुछ युवाओं ने यात्रा दल से यह प्रश्न किया कि क्या इस आंदोलन से प्रतिष्ठा पाकर आंदोलन के कार्यकर्ता परम्परागत राजनीति को अपना पेशा बनाकर स्वार्थ सिद्धि तो नहीं करेगे। इस विषय में दल के वक्ताओं ने कहा कि हमारे आंदोलन का मकसद राजनीतिक पद-प्रतिष्ठा को ऐसा बना देना है कि कोई भी नेता या सरकारी मशीनरी के लोग पद से प्राप्त शक्ति को निहित स्वार्थों में प्रयोग ही न कर सके। कुछ अपरिहार्य कारणों से हमें शाहजहाँपुर व लखीमपुर खीरी जिलों की बैठक निरस्त भी करनी पड़ी। इससे आगे यात्रा छोटी पुरवा (बाराबंकी) व बाराबंकी नगर, कर्नलगंज, (गौड़ा), परसहर, (खलीलाबाद), खड़डा, बोदरवार (कशीनगर), पगरा, (देवरिया), सतहवां, (गोरखपुर), भोरे-गोपालगंज, (बिहार), गोपालगंज शहर, मुजफ्फरपुर शहर, रोसड़ा, (समस्तीपुर), सहरसा, सुपौल, कतारी व राजगीर (नालंदा), लक्खीसराय व झारखण्ड के देवघर होते हुए प्रथम चरण के समाप्त अन्त रामानुजगंज (बलरामपुर) पहुँची। यात्रा विवरण के इस विवेचना पत्र में सम्पूर्ण व्यवस्थापक परिवार विभिन्न केन्द्रों पर मिले जनता के सहयोग व सहभागिता का धन्यवाद करता है और पुनः जनता का यह आवाहन करता है कि हमे व्यवस्था के समाज के प्रतिकूल स्वभाव का उन्मूलन कर देना चाहिए।

जन जागरण यात्रा: विहंगमावलीकन

क—आच्छादित राज्य—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड दिल्ली, बिहार, झारखण्ड।
ख—आच्छादित जिले—इक्यावन।

ग—आच्छादित दूरी—दस हजार पांच सौ किलोमीटर लगभग।

घ—संपर्कित व्यक्तियों की संख्या—पंद्रह हजार लगभग।

च—यात्रा के प्रतिभागी—आचार्य पंकज (उत्तराखण्ड), डा० ईश्वर दयाल (बिहार), ओम प्रकाश दुबे (नोएडा), रोशन लाल अग्रवाल, (छोटापुर), छबील सिंह शिशौदिया (उत्तराखण्ड), विनोद भाई (महाराष्ट्र), सभापति पाठक (बिहार), नरेन्द्र सिंह (उत्तराखण्ड),

व्यवस्थापक
(व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी)
अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़

व्यवस्थापक का लोक स्वराज्य आंदोलन

बुरी सरकारों की बुराई पायः सभी लोग सदैव से करते आये हैं, लेकिन किसी अच्छी सरकार को हम अपने ऊपर शासन करने दे क्या इसे सम्भवा का कोई प्रतिमान कहा जा सकता है। जीवन व्यवस्थागत रूप से निर्वाह होता है तो इससे परस्पर स्वतंत्रता का पालन सुनिश्चित होता है। लेकिन जीवन पर किन्हीं परिस्थितियों में जितना भी शासन गत प्रभाव बढ़ता है इसकी मौलिक स्वतंत्रता उतनी ही छिन्न-भिन्न होती जाती है। लोक स्वराज्य की परिकल्पना जीवन पर शासन गत नियंत्रण के उन्मूलन का सुलभ प्रकार है। यह परिकल्पना हमारे सामने व्यवस्था के ऐसे ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है जिसके अन्तर्गत हम शासन गत गुलामी से मुक्ति पा सकते हैं। इस विषय में व्यवस्थापक एक आंदोलन की परिकल्पना समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं जो समाज को शासन प्रणाली से मुक्त करके लोक स्वराज्य की ओर अग्रसर करती है। आंदोलन की पृष्ठ भूमि निम्न चार सूत्रों पर आधारित है—

- 1—परिवार, गांव व जिला को संवैधानिक अधिकार।
- 2—संसद की उच्चश्रृंखलता पर नियंत्रण के लिए लोक संसद की स्थापना।
- 3—मतदाताओं को जन प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार।
- 4—प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार मूल रूपये राष्ट्रीय आय से लाभांश देने की व्यवस्था।

किसी आंदोलन की सफलता के विषय में यदि सोचा जाये तो यह केवल समर्पित कार्यकर्ताओं एवं नियोजित गतिविधियों के आधार पर प्राप्त नहीं होती है बल्कि यह आंदोलन की विषय वस्तु में निहित होता है कि वह जनता की हृदय ग्राह्यता एवं हित बद्धता के लिए कितनी बाध्यकारी है। व्यवस्थापक के इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में क्या ऐसे गुण निहित हैं जो समाज के लिए स्वराज्य प्राप्ति का आधार तैयार कर सके? हम बिन्दुशः विवेचन ऐसा करने का प्रयास करते हैं।

आंदोलन की पृष्ठभूमि का पहला विषय परिवार, गांव व जिला को संवैधानिक अधिकार प्राप्त कराना है। परिवार, गांव व जिला को संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति का अर्थ इन तीनों इकाईयों का राज्य की व्यवस्था में संवैधानिक इकाई के रूप में स्थापित होना है। इस परिस्थिति में इन तीनों इकाईयों के अधिकार क्षेत्र में निहित विषयों में किये गये निर्णय में कोई भी वाह्य हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा।

आंदोलन की पृष्ठभूमि का दूसरा सूत्र है संसद की उच्चश्रृंखलता पर नियंत्रण के लिए लोक संसद की स्थापना। लोक संसद की संरचना का प्रस्ताव निम्न प्रकार है—

1—वर्तमान लोकसभा के समकक्ष एक लोक संसद हो। लोक संसद की सदस्य संख्या, चुनाव प्रणाली तथा समय सीमा वर्तमान लोक सभा के समान हो। चुनाव भी लोकसभा के साथ हो किन्तु चुनाव दलीय आधार पर न होकर निर्दलीय आधार पर हो।

2—लोक संसद के निम्न कार्य होंगे—

(क) लोक पाल समीति का चुनाव।

(ख) संविधान संशोधन के संसद के असीम अधिकारों को संसद और लोक संसद के रूप में द्विस्तरीय बनाना।

(ग) सांसद, विधायक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मंत्री एवं राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संबंधी प्रस्ताव पर विचार व निर्णय।

(घ) राइट टू रिकाल का कोई प्रावधान बनाना।

(च) लोकपाल समीति के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत का निर्णय।

(छ) किन्हीं भी संवैधानिक इकाईयों के बीच आपसी टकराव पर निर्णय।

3—लोक संसद का कोई वेतन नहीं होगा। बैठक के समय भत्ता प्राप्त होगा।

4—लोक संसद का कोई कार्यालय या स्टाफ नहीं होगा। लोक पाल समीति का कार्यालय तथा स्टाफ ही पर्याप्त रहेगा।

5—यदि किसी प्रस्ताव पर लोक संसद तथा लोक सभा के बीच अतिम रूप से टकराव होता है तो उसका निर्णय जनमत संग्रह से होगा।

6—लोक संसद किसी भी संवैधानिक इकाई के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

आंदोलन का तीसरा सूत्र—मतदाताओं को जन प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार है। किसी भी व्यवस्था की स्थापना का यह सर्वमान्य सिद्धान्त होता है कि नियोक्ता को उसके द्वारा नियुक्त की गई इकाई के निलंबन व पदच्युत करने का अधिकार होता है। क्या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता को उनके पद से च्युत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? मूलतः लोकतंत्र जनता के प्रति जवाब देही के रूप में अपनी पुष्टी करता है। यदि लोकतंत्र का ढांचा उसकी मर्यादाओं के अनुसार न हो तो उसे लोकतंत्र कैसे कहा जा सकता है? अतः मतदाताओं को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वापिस बुला लेने का नैसर्गिक अधिकार है और वह उसे मिलना ही चाहिए।

आंदोलन के ये तीन सूत्र राजनीतिक सत्ता के अकेन्द्रीय करण के विषय में हैं। इस आंदोलन का चौथा सूत्र समाज व राज्य के आर्थिक प्रबंधन के विषय में है। यह सूत्र इस प्रकार अभिव्यक्त है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार रूपये राष्ट्रीय आय से लाभांश दिया जाये। यह विषय अनेकों प्रकार के प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न करता है। जिनमें मुख्य प्रश्न यह है कि जिस देश की कुल आय इतनी भी न हो कि वह बजटीय घाटे की पूर्ति भी कर सकती हो तो भला राष्ट्रीय आय से जनता को लाभांश देने का क्या प्रश्न है? यह विषय पूँजी के केन्द्रीयकरण, देश की प्राकृतिक सम्पदाओं के गलत दोहन, गलत कृषिनीति जैसे उन बुनियादी कारणों पर आधारित है जो आर्थिक प्रबंधन के अनुकूल नहीं है। इस विषय में व्यवस्थापक के अर्थशास्त्रियों के पास ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जिन्हे सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करके ऐसी आर्थिक व्यवस्था का प्रबंधन किया जा सकता है जिससे न केवल देश की आर्थिक व्यवस्था के बजटीय घाटे की पूर्ति की जा सकती है बल्कि राष्ट्रीय आय से लाभांश भी सरलता पूर्वक और सतत दिया जा सकता है। इस विषय में व्यवस्थापक संस्था सरकार व समाज से व्यापक चर्चा करने के लिये तैयार है। यदि आम जन को उनके नैसर्गिक प्राप्य को सहज ढंग से पाप्त करने से अनुचित ढंग से सड़यांत्र पूर्वक रोका जाता है तो

उनके ज्वलित आक्रोस के विस्फोट सबकुछ जलाकर राख कर राख कर देगा। व्यवस्थापक उक्त चारों सूत्र के आधार पर व्यापक जन आंदोलन का आह्वान करता है।

प्रवक्ता—नरेन्द्र सिंह

व्यवस्थापक

(व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी)

अभिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़

मोदी से उम्मीदे, तवलीन सिंह

गये साल के आखिरी दिनों में मैंने गलती से गलतफहमियां पैदा की उन लोगों म, जिनके राजनीतिक विचारों से मैं कभी सहमत नहीं हूँ। दो हजार पंद्रह के इस पहले लख मेरे उन गलत फहमियों को दूर करना चाहती हूँ। हुआ यह कि मैं कुछ महिनों से ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही थी कि आर्थिक सुधारों में वह तेजी नहीं है जो होनी चाहिये थी। उपर से मैंने खुलकर हिन्दू कट्टर पंथियों का विरोध किया। इससे मेरे बारे में समाजवादी, मार्क्सवादी, कांग्रेस वादी और सोनियांवादी लोग कहने लगे कि मैं मोदी भक्त अब नहीं रही। इस टोली को मैं शुरू मेरी ही कहना चाहूँगी कि मैं भक्ति किसी की नहीं करना पसंद करती हूँ, भगवान की भी नहीं। लेकिन मैंने नरेन्द्र मोदी का समर्थन जरूर किया है। वह इसलिये कि मुझे विश्वास है कि वे इस बेहाल गरीब देश में परिवर्तन और विकास ला सकते हैं। इस आधार पर यह कह रही हूँ कि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक नई आर्थिक भाषा बोलने को हिम्मत दिखाई देते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुलकर कहा है कि सरकार का काम नहीं है बिजनेश करना। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बार बार कहा कि भारत के गरीब होने का एक भी कारण नजर नहीं आता। मेरा अपना मानना है कि टूरिज्म को ही अगर गरीबी हटाने का औजार हमने माना होता तो हमारे सबसे गरीब राज्य आज अमीर हो गये। और इन्हीं चीजों की जरूरत इस देश के आम आदमी को भी है। मोदी ने खुद कई बार कहा है कि टूरिज्म में निवेश करने से कई किस्म के लोगों के पैसे बनते हैं। चाय वाले भी पैसा बनाते हैं। और जब चाय वाले पैसा बनाते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। टूरिज्म में अगर पूर्व प्रधानमंत्रीयों ने निवेश नहीं किया है तो इसलिये कि उनकी नजर में समाजवादी आर्थिक नीतियों के तहत खैरात बाटने से ही गरीबी हटती है। कांग्रेस पाटी के बड़े नेता अक्सर समाजवादी रहे हैं। और इनमें से सबसे बड़े समाजवादी थे जवाहर लाल नेहरू। उनकी आर्थिक नीतियों का आधार था कि धन पैदा करने के तमाम औजार और रोजगार देने के अवसर भी सरकार के हाथों में होने चाहिये। उनके समय ज्यादातर दुनियां भी इसी तरह सोचा करती थी क्योंकि उस समय सोवियत युनियन की हकीकत लोहे के पर्दे के पीछे ढकी हुई थी। यह पर्दा गिरने लग गया था 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरने लगी थी। अगले कुछ वर्षों में सोवियत युनियन खुद टूटने लगा। गलत आर्थिक नीतियों के कारण इसका असर पूर्वी युरोप के हर मुल्क में दिखा। भारतीय वामपंथी लेकिन कट्टर मिजाज करते हैं। सो उन्होंने इन तब्दीलियों को बिल्कुल अनदेखा किया। लकीर के फकीर बने रहे हैं। कांग्रेस पाटी को समस्या यह भी थी कि जिस विचारधारा को वह नेहरू जी की विरासत मानती थी उसे त्यागे तो कैसे? फिर समस्या यह भी थी कि कि नेहरू गांधी परिवार का पूरी तरह से कब्जा कांग्रेस के आर्थिक और राजनीतिक सोच पर था। भारत की गरीबी क्योंकि दूर नहीं हुई सो खैरात बाटने की आदत डाल ली। इस परिवार के सदस्यों ने और पिछले दसक में सोनियां, मनमोहन सरकार ने भी खैरात बाटना ही अपनी आदत बना ली। सच यह है कि हमारी आर्थिक नीतियां गलत रही हैं। वरना कुदरत ने क्या कुछ नहीं दिया है इस देश को?

मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस बात को बार बार स्वीकार किया है कि भारत के गरीब होने का उनको कोई कारण नहीं दिखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने योजना आयोग जैसी समाजवादी संस्थाओं को खत्म करने का काम शुरू किया है। दुआ कीजियें कि नीति आयोग बिल्कुल अलग किस्म का आयोग होगा जो अर्थ व्यवस्था में दखल देने के बदले नये विचारों का केन्द्र बन जायेगा भविष्य में। मोदी सरकार की आलोचना अगर करने की जरूरत पड़ी है मुझे पिछले दिनों तो सिर्फ इसलिये कि कट्टर पंथी हिन्दूत्व के फैलने के आसार दिखने लगे थे। 2014 के अंतिम महिनों में साधु साधियों के कुछ बहुत ही घटिया स बयान आये। जिनके कारण संसद में इतना हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री को स्पष्ट शब्दों में उनको नकारना पड़ा। ऐसा करके मोदी जी ने अच्छा किया। लेकिन उन्होंने अभी तक धर्मान्तरण पर कुछ नहीं कहा है। सो रोज सुर्खियों में रहती है। धर्मान्तरण की कोई नई घटना इतना ही नहीं आर एस एस के सरसंघचालक भी कुछ जरूरत से ज्यादा बोलने लग गये हैं। आज कल मोदी जो विकाश व परिवर्तन के मुददे लेकर आये थे वह धुधला से गये हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने नरेन्द्र मोदी से अपना समर्थन वापिस ले लिया है। अब भी उनके समर्थकों में अपने आप को मानती हूँ। क्योंकि मुझे चिन्ता है कि अगर मोदी परिवर्तन और विकाश लाने में नाकाम रहते हैं तो इस देश के भविष्य में रोशनी की छोटी सी संभावना भी दिखनी बंद हो जायेगी।

उत्तर:— मैं आपके लेख से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं पिछले तीस वर्षों से यह प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई प्रधानमंत्री आयेगा जो राजनीति और व्यापार को अलग-अलग कर देगा। इसके साथ ही जो भारत से समाजवाद की अन्तेष्टि कर देगा। नरेन्द्र मोदी के रूप में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो दोनों काम कर रहा है। गरीबों को रोजगार के अवसर न देकर सुविधाएँ देना अच्छी राजनीति नहीं है। नरेन्द्र मोदी इस मामले में भी अच्छा कर रहे हैं। अब स्पष्ट दिखता है कि पंडित नेहरू परिवार की सत्ता ही नहीं बल्कि पंडित नेहरू की नीतियों से भी पिंड छूट चुका है।

मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि कुछ कट्टरपंथी हिन्दू विचार से ध्यान हटाकर साम्प्रदायिक दिशा में देश को ढकेलने का प्रचार कर रहे हैं। यह सही है कि मोदी के पूर्व की सरकारें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति पर चल रही थी। इन नीतियों से पिण्ड छूटना ही हिन्दुओं के लिए पर्याप्त संतोष का आधार था। किन्तु कुछ मुस्लिम प्रवृत्ति के हिन्दू उस दिशा में सरकार

को ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में पिछली सरकार मुसलमानों के पक्ष में चल रही थी। मेरे विचार में यदि मुस्लिम साम्प्रदायिकता बुरी है तो हिन्दु साम्प्रदायिकता उससे भी अधिक बुरी है। बुरे आदमी का बुरा होना बुरा है किन्तु बुरे आदमी की बुराई दूर होने के बाद भी अगर अच्छा आदमी बदले की भावना से बुरा काम करता है तो वह और भी बुरा है। मैं समझता हूँ कि संघ परिवार के लोग मोदी को ठीक राह पर चलने से रोकने का प्रयास नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो भारत का हिन्दु इसे सहन नहीं करेगा।

उत्तरार्ध

व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी

कार्य याजना

व्यवस्थापक (व्यवस्था परिवर्तनअभियान कमेटी) कोई राजनैतिक दल नहीं आंदोलन है। इसका मूल उद्देश्य सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि आम व्यवस्थापक के चतु: सूत्री कार्यक्रमों को जाने, समझ तथा उन्हे समर्थन और सहयोग दे। व्यवस्थापक ने अपनी जन जागरण यात्रा में जन साधारण से सम्पर्क कर एक ओर तो उन्हे अपी चतु:सूत्री कार्यक्रमों को समझाने समर्थन का प्रयास किया दूसरी ओर उनकी समस्याओं को बहुत निकट से और गहराई से समझने का प्रयास किया। इस क्रम में अनेक समस्या स्थल मिले, जिन्हे केन्द्र बनाकर जनमत को खड़ा किया जा सकता है और स्थापित व्यवस्था की नींव को हिलाया जा सकता है।

जन जागरण यात्रा के अनुभवों से जन जागरण यात्रा की सार्थकता भी स्पष्ट हुई है और उसे ज्यादा कारगर तथा उपयोगी बनाने की प्रेरणा भी मिली है। स्पष्ट मानसिकता बनी है कि भविष्य की जन जागरण यात्राएं त्री स्तरीय होनी चाहिये।

1 सघन क्षेत्र

2 सामान्य क्षेत्र

3 विरल क्षत्र

सघन क्षेत्र— दिल्ली के केन्द्र मानकर और भारतीय जन संघ्या के एक तिहाई भाग को दृष्टि में रखकर दिल्ली के आस पास के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तथा कुछ कुछ विहार के भागों की सघन यात्रा होना चाहिये और लक्ष्य रखना चाहिये कि अगले दो वर्ष में सदर्भित क्षेत्रों के प्रत्येक ब्लाक में कम से कम व्यवस्थापक का एक सक्रिय कार्यकर्ता अवश्य है।

2 उत्तर भारत के शेष हिन्दी भाषी प्रदेशों एवं गुजरात के सामान्य क्षेत्र माना जाय। जहां प्रत्येक जिले में अगले दो वर्षों में एक कार्यकर्ता अवश्य है।

3 देश के बाकी के अहिनी भाषी प्रदेशों के 5–5 संसदीय क्षेत्रों में कम से कम एक व्यवस्थापक का सक्रिय कार्यकर्ता आगामी दो वर्षों में अवश्य बना लिया जाय।

इसके लिये प्रत्येक तरह में क्षेत्र के लिए सघन सामान्य एवं विरल यात्रा की योजना प्रस्तावित है।

शोक समाचार

आज दिनांक 6/1/2015 को प्रातः यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि हमारे व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी के संरक्षक राज सिंह आर्य का एकाएक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। राज सिंह जी व्यवस्थापक के संरक्षक तो थे ही साथ ही मेरे व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे मार्ग दर्शक थे। उन्होने ही मुझे वानप्रस्थ की प्रेरणा दी थी तथा सन्यास की ओर भी प्रेरित करते थे। राज सिंह जी आर्य समाज के मुर्धन्य विद्वानों में से एक थे। वे विद्वता के साथ साथ व्यक्ति गत संबंधों का भी पूरा ख्याल रखते थे। राज सिंह जी रामानुज गंज जैसे बीहड़ जंगली क्षेत्र में भी दो बार आये और उन्होने दा हजार तेरह में एक सप्ताह तक रहकर यहां कथा की थी। उनकी क्षति आर्य समाज के लिये तथा समाज के लिये तो महत्वपूर्ण है ही किन्तु व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी के लिये ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके निधन का समाचार सुनकर उनकी अंत्येष्टि में व्यवस्थापक की ओर से श्री छबील सिंह सिसोदिया तथा रामवीर सिंह श्रेष्ठ ने प्रतिनिधित्व किया।

